(ख) यदि हां, तो नाविकों सहित कितने व्यक्तियों के मरने की आशंका है और कितने शव अब तक निकाल लिए गए हैं और पहचान कर लिए गए हैं;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को सरकारी तौर पर सूचित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं; तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं;

(ङ) मृतकों के परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या सरकार मृतकों के प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह राशि कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के. विजय भास्कर रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) जिन 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की आशंका थी, उनमें से 16 के शव प्राप्त कर लिए गए हैं । इनमें से 12 शवों की शिनाख्त कर ली गयी है ।

(ग) और (घ). जहाज मालिक और शिपिंग मास्टर, बम्बई ने इस दुर्घटनाग्रस्त जहाज के कर्मीदल के निकटतम सम्बन्धियों को सूचित कर दिया है ।

(ङ) से (छ). नाविक संघों और नियोक्ताओं के बीच द्विपक्षीय करार के अनुसार ही कर्मीदल के सदस्यों को मुआवजा दिया जाता है । सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

नौवहन कंपनियों के कार्यकरण के बारे में पद्मनाभन समिति का प्रतिवेदन

*श्रीमती किशोरी सिन्हा:
श्री रवीन्द्र वर्मा:

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने **नौवहन कंपनियों के कार्यकरण की जांच** करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के0 विजय भास्कर रेड्डी): (क) भारत के विदेश व्यापार में ट्रम्प प्रचालकों के घिनौने क्रियाकलाप का अध्ययन करने के लिए पद्मनाभन समिति गठित की गयी थी ।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने ग्यारह सिफारिशें की जिसमें से नौ सामान्य किस्म की थीं। अन्य दो सिफारिशें नौवहन एजेंटों को लाइसेंस देने की पद्धति शुरु करने और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन के चार महापत्तनों में स्थायी समितियां गठित करने से संबंधित थीं ।

एक को छोड़कर सभी सिफारिशों को मान लिया गया है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । अभी एक सिफारिश पर निर्णय नहीं किया गया है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना

*455. **श्री राम सिंह शाक्य:** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विभिन्न सभी शाखाओं, स्मारकों और पार्कों में कर्मचारी दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) दैनिक मजूरी के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी हां ।

(ख) दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का मानदण्ड वही है जो गृह मंत्रालय के अनुदेशों में निहित है । संक्षेप में वे इस प्रकार है*:-